



UPKU100050842026

न्यायालय-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1323/2026

सरकार बनाम रामप्यारे आदि

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

03.06.2026

आवेदिका/अभियुक्ता **किरन पुत्री रामप्यारे** की ओर से मु०अप०सं०-178/2025, अन्तर्गत धारा-191(2), 115(2), 352, 351(3), 117(2) बी०एन०एस०, थाना-**को०हाटा**, जिला-कुशीनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। उपरोक्त मामले में चार्जसीट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध माजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्ता को थाने से **35(3) BNSS** की नोटिस पर रिहा किया गया था जिसके अनुपालन में दौरान विवेचना अभियुक्ता द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिव्यवस्था **Satendra kumar Antil vs C.B.I.(2021)10 SCC 0773** में पारित निर्देशों के प्रकाश में तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **किरन पुत्री रामप्यारे** की ओर से मु०अप०सं०-178/2025, अन्तर्गत धारा-191(2), 115(2), 352, 351(3), 117(2) बी०एन०एस०, थाना-**को०हाटा**, जिला-कुशीनगर में अंकन 25,000/- रुपये के सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

(श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कसया, कुशीनगर स्थान।